प्रकीर्ण वाद संख्या २२३/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ३६४/२०१९)
चैनू आदि बनाम जगदीश शिवहरे आदि
२९.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण चैनू व कु. सुखदेवी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १५.०७.२०२० को राजीनामा के आधार ₹ ६,४५,००० का एवार्ड पारित किया गया है। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रार्थीगण के नाम एफ.डी.आर. बनाई गयी थी तथा प्रार्थिया कु. सुख देवी को प्राप्त होने वाली धनराशि उसकी वयस्कता की अवधि के लिये निवेशित की गई है। कु. सुखदेवी की उम्र दावे में भूलवश कम अंकित हो गई थी जबकि उसके आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र १९ वर्ष से ज्यादा है। याचिया सं. ३ कु. सुखदेवी की शादी गोबिन्द पुत्र हरचरन से तय हो गयी है व उसकी शादी ११.१२.२०२० को होना है लेकिन प्रार्थीगण के पास रुपयों की व्यवस्था नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने याचना की है कि प्रार्थी सं. १ चैनू के नाम की एफ.डी.आर. क्रम सं. ४४०७४७ खाता सं. ९२३५४०५०० १००४०/१ ₹ १६९३१२.५० पैसे दिनाँकित २०.१०.२०२० व प्रार्थी सं. २ कु. सुख देवी के नाम की एफ.डी.आर. क्रम सं. ४४०७४९ खाता सं. ९२३५४०५००१००५३/१ ₹ १९३५०० दिनाँकित २०.१०.२०२० को समाप्त कर उसकी धनराशि प्रार्थीगण को नकद भुगतान करने की कृपा की जाय।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं. ३६४/२०१९ चैनू आदि बनाम जगदीश शिवहरे आदि की पत्रावलियों व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी चैनू का शपथपत्र ४सी१ व उक्त एफ.डी.आर. की छाया प्रतियाँ, असल शादी कार्ड व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई है। प्रार्थी चैनू ने अपने शपथपत्र ४सी२ में यद्यपि अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है और प्रार्थी सं. २ की उम्र १९ वर्ष से ज्यादा होने का कथन किया है किन्तु याचिका में कु. सुख देवी की अंकित उम्र के अनुसार याची सं. २ वर्तमान में भी अवस्यक है। याचिका तय हो जाने के बाद याचिका के तथ्यों से इंकार नही किया जा सकता है। शादी की तिथि ब्यतीत हो चुकी है। याची दिनाँक ०५.१०.२०२० को ₹ ११२८७५ नगद प्राच्त कर चुका है अत: वर्णित एफ.डी.आर. में जमाशुदा धनराशियों को समय से पूर्व दिलाये जाने हेतु उचित आधार नहीं है। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण का ३बी प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का ३बी प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.29 18:18:05 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI